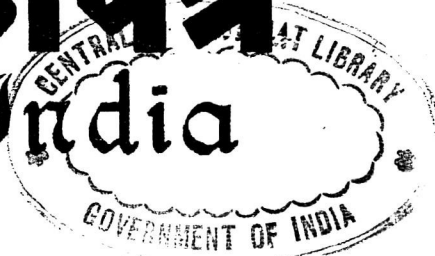




भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 281]
No. 281]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 28, 2003/चैत्र 7, 1925
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 2003/CHAITRA 7, 1925

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 28 मार्च, 2003

का.आ. 333(अ).— केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में यथाउल्लिखित संस्थाओं का एतद्वारा अनुमोदन करती है तथा उक्त सारणी के कॉलम (3) में यथाउल्लिखित पात्र परियोजनाओं अथवा स्कीमों और उनकी अनुमानित लागत को विनिर्दिष्ट करती है तथा कथित सारणी के कॉलम (4) में ऐसी लागत की अधिकतम राशि को भी विनिर्दिष्ट करती है जिसे धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाना है, नामतः

सारणी

क्रम सं०	संस्था का नाम	परियोजना अथवा स्कीम और उसकी अनुमानित लागत	धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाने वाले लागत की अधिकतम राशि
1.	2.	3.	4.
1.	प्रणव कन्या संघ, डाकखाना हरिदयापुर 743204, जिला नार्थ, 24 परगना (पश्चिम बंगाल)	मौजूदा अनाथालयों में कमरों, रसोइयों, भोजन कक्षों, स्टाफ क्वार्टरों, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण करके उनका विस्तार, वैन की खरीद तथा परियोजना को चलाना ।	निर्धारण वर्ष 2003-2004, 2004-2005 और 2005-2006 अर्थात् केवल तीन वर्ष के लिए 42.78 लाख रू०

2.	भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी, नेल्लोर जिला शाखा, रेड क्रॉस रोड, निकट सब्जी मार्केट, नेल्लोर	विस्तार भवन का निमाण, चिकित्सा उपस्करों, फर्नीचर की खरीद, कैंसर का पता लगाने/रेडियोथैरेपी केन्द्रों को चलाना तथा उनका रख-रखाव।	निर्धारण वर्ष 2004-2005 अर्थात् केवल एक वर्ष के लिए 250.00 लाख ₹ की कार्पसनिधि सहित 600.00 लाख ₹
3.	व्यक्ति विकास केन्द्र, इंडिया नं० 19,39 ए क्रॉस, 11 मेन, IV टी ब्लॉक, जयानगर, बंगलौर-560041	आदिवासी कल्याण परियोजना	निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा 2004-2005 अर्थात् केवल दो वर्षों के लिए 2.86 करोड़ ₹
4.	गंगा ऐंजुकेशन सोसायटी, द्वारा गंगा हॉस्पिटल, न्यू बिल्डिंग, रंकालावेश् कोल्हापुर-416012	स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए शिविर लगाने तथा स्वास्थ्य जांच की योजना।	निर्धारण वर्ष 2003-2004, 2004-2005 और 2005-2006 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 42.19 लाख ₹
5.	कलातुर वी सुब्रमणियम अय्यर मैमोरियल ट्रस्ट, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 24, (नया नं० 17) दक्षिण माडा स्ट्रीट, श्रीनगर कालोनी, सैदापेट, चेन्नई-600015	विस्तार भवन का निर्माण तथा उपस्करों की खरीद	निर्धारण वर्ष 2003-2004, 2004-2005 और 2005-2006 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 20.00 लाख ₹, वंशर्त कि लाभ प्राप्त करने वालों में से 50% लोग समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंध रखते हों जिनकी वार्षिक आय 18,000.00 ₹ अथवा उससे कम हो।

6.	महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल ट्रस्ट, 25-9-26, श्रीरामपुरम, भीमावरम 534202, पश्चिम गोदावरी जिला (आन्ध्रप्रदेश)	भवन, मरीजों के लिए वार्डों, परामर्श के लिए वार्ड कक्षों आदि का निर्माण तथा ग्रामीण कैंसर रेडिएशन केन्द्र के लिए उपस्करों की खरीद ।	निर्धारण वर्ष 2003-2004, 2004-2005 और 2005-2006 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 300.00 लाख रु०
7.	सेवा मंदिर, ओल्ड फतेहपुरा, उदयपुर-313004 (राजस्थान)	ग्रामीण गरीब लोगों, विशेषतः आदिवासियों की उन्नति के लिए समेकित ग्रामीण विकास परियोजना ।	निर्धारण वर्ष 2003-2004, 2004-2005 और 2005-2006 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 200.00 लाख रु० की कॉर्पस निधि सहित 500.00 लाख रु० ।
8.	स्वामी श्री प्रेमपुरीजी आश्रम ट्रस्ट, प्रेमपुरी आध्यात्म विद्या भवन, स्वामी प्रेमपुरीजी चौक, बाबरनाथ रोड, मुंबई-400007	कल्याण कार्यक्रमों को चलाना ।	निर्धारण वर्ष 2003-2004, 2004-2005 और 2005-2006 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 500.00 लाख रु० (कॉर्पस निधि)
9.	श्री पंडित रत्नचन्द्रजी जैन (एस पी आर जे), कन्याशाला ट्रस्ट, जगधीर बोदा विद्या संकल, कामा लेन, घाटकोपर (पश्चिम), मुंबई-400086	स्कूल भवन का निर्माण, फर्नीचर, कम्प्यूटरों, उपस्करों, वातानुकूल संयंत्रों की खरीद ।	निर्धारण वर्ष 2003-2004 और 2004-2005 अर्थात् केवल दो वर्षों के लिए 425.13 लाख रु० व शर्त कि वर्ष 2001-2002 के लेखा परीक्षित लेखे न्यास द्वारा प्रस्तुत किए गए हों ।

10.	सनराइज चैरिटेबल ट्रस्ट, ए/401, अंबिका कोऑपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड, अंबिका कॉम्पलेक्स, खेड़ा, गुजरात	कार्यालय परिसरों, फर्नीचर/फिक्सचर की खरीद तथा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को चिकित्सा संबंधी राहत देने की योजना।	निर्धारण वर्ष 2003- 2004, 2004- 2005 और 2005- 2006 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 274.00 लाख रु०।
-----	---	---	--

2. यह अधिसूचना कथित सारणी की क्रम सं० 2 पर उल्लिखित परियोजना या स्कीम के संदर्भ में कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 के संबंध में एक वर्ष की अवधि के लिए और क्रम सं० 3 तथा 9 पर उल्लिखित परियोजनाओं अथवा स्कीमों के संबंध में कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 और 2004-2005 के संबंध में दो वर्षों की अवधि के लिए तथा उक्त सारणी की क्रम सं० 1, 4, 5, 6, 7, 8 और 10 पर उल्लिखित परियोजनाओं अथवा स्कीमों के संदर्भ में कर निर्धारण वर्ष 2003-2004, 2004-2005 और 2005-2006 के संबंध में तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी।